<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>10.04.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स एसवीओजीएल ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड के प्रमोटर्स पदम सिंघी, प्रेम सिंघी एवं अन्य के खिलाफ दिनांक 05.04.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 05.04.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है।

ईडी ने मैसर्स एसवीओजीएल ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड, मैसर्स मैक्स टेक ऑयल एंड गैस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, प्रेम सिंघी, पदम सिंघी और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसार, प्रेम सिंघी और पदम सिंघी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बैंकों से 252 करोड़ रुपये [मैसर्स एसवीओजीएल ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्त] और 65 करोड़ रुपये [मैसर्स मैक्स टेक ऑयल एंड गैस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त] की धोखाधड़ी की है।

ईडी की जांच से पता चला कि व्यय की आड़ में विभिन्न शेल/डमी कंपनियों को पैसा हस्तांतरित किया गया और प्रमोटरों द्वारा उसे प्राप्त कर लिया गया। आरोपी व्यक्तियों ने ऐसे निवेश भी किए जो बैंक ऋण के इच्छित उद्देश्यों से संबंधित नहीं थे।

ईडी की जांच में पता चला कि पदम सिंघी ने एसओजीएल समूह की कंपनियों की परिसंपत्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से उनके लाभकारी स्वामित्व वाली शेल कंपनियों के माध्यम से न्यूनतम दरों पर हासिल किया। ऐसी फर्जी कंपनियों के माध्यम से उनके द्वारा अन्य परिसंपत्तियां भी अर्जित/नियंत्रित की गईं थीं। कंपनियों की संरचना इस प्रकार रची गई थी कि बैंकों/प्रवर्तन एजेंसियों को इसकी भनक न लग सके। कंपनियों का संचालन डमी निदेशकों के माध्यम से किया जा रहा था। बैंक खातों के सत्यापन और मनी ट्रेल्स के विश्लेषण से पदम सिंघी द्वारा अपने व अपने परिजनों के हित में नियंत्रित व भोगे जा रहे विभिन्न निवेशों का खुलासा हुआ है।

ईडी ने दिनांक 15.12.2023 को उक्त समूह की संस्थाओं/व्यक्तियों पर तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी कार्यवाही के दौरान, फर्जी लेनदेन और फर्जी संस्थाओं के साथ लेनदेन से संबंधित साक्ष्य बरामद किए गए थे। तलाशी अभियान और तलाशी के बाद की गई जांच के परिणामस्वरूप उनके द्वारा नियंत्रित/संचालित विभिन्न कंपनियों का पता चला है।

ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 25.01.2024 को पदम सिंघी से संबंधित 58.82 करोड़ रुपये [विभिन्न फंड प्रबंधकों के पास निवेश/कॉरपोरेट्स के पास जमा] की परिसंपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की थी। एक और अनंतिम कुर्की आदेश दिनांक 22.03.2024 को पारित किया गया था जिसमें पदम सिंघी से संबंधित 57 करोड़ रुपये की अचल परिसंपत्तियों को कुर्क किया गया था। पाई गई संपत्तियों की जब्ती की प्रार्थना भी अभियोजन शिकायत हेतु की गई है।